भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1197
उत्तर देने की तारीख 13.02.2019

खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए
लघु उद्योगों की स्थापना

1197. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु लघु उद्योगों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान खादी कपड़ों को तैयार करने के लिए लगाए गए लघु उद्योगों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क): जी, हाँ।

(ख): सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से केवीआई क्षेत्र में निम्नलिखित स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से सूक्ष्म/लघु इकाइयों की स्थापना करके खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्धन में कार्यरत (इंगेज) हैः

1). प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) केवीआईसी, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/महिलाओं/दिव्यांगजन/अल्पसंख्यकों/भूतपूर्व सैनिकों/पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (2015-16 से 2018-19) के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म इकाइयों/उद्यमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

2). खादी कार्यक्रम: खादी कार्यक्रम के विकास और संवर्धन के लिए, केवीआईसी 34 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और 2518 खादी संस्थाओं की सहायता से निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित करता है:

i) बाजार संवर्धन और विकास सहायता (एमपीडीए)

ii)ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक)

iii) आम आदमी बीमा योजना (पूर्ववर्ती जनश्री बीमा योजना)

iv)कारीगर कल्याण निधि ट्रस्ट (एडब्ल्यूएफटी)

v) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम

vi) विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता ।

3). ग्रामोद्योग कार्यक्रम: कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ सात समूहों में विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया गया है जो निम्नानुसार हैं:-

i) कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई)

ii) वन आधारित उद्योग (एफबीआई)

iii)हस्तनिर्मित कागज और फाईबर उद्योग (एचएमपीएफआई)

iv) खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)

v)पॉलीमर और कैमिकल आधारित उद्योग (पीसीबीआई)

vi)ग्रामीण इंजीनियरिंग और बायो प्रोद्योगिकि उद्योग (आरईबीटी)

vii) सेवा एवं वस्त्र उद्योग

4). मिशन सोलर चरखा का ग्रामीण भारत में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया है। इस स्कीम में केन्द्रित ग्रामों में ''सोलर चरखा क्लस्टर'' स्थापित करने का प्रावधान है जिससे 8 से 10 किलोमीटर के दायरे के गांवों के कारीगर सोलर चरखों के फैब्रिक के उत्पादन और प्रशिक्षण के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं।

5). खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) का उद्देश्य खादी की सतत वृद्धि, कतिनों (स्पिनिरों) एवं बुनकरों के लिए वर्धित आय और रोजगार, कारीगरों के कल्याण में वृद्धि के साथ खादी क्षेत्र का पुनरूद्धार करना तथा ग्रामोद्योग के साथ सहयोगात्मकता (सिनर्जी) प्राप्त करना है। खादी सुधार पैकेज में निम्नलिखित क्षेत्रों (i) कारीगरों की आय एवं सशक्तिकरण (ii) 400 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता तथा (iii) वेल निट (Well knit) प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के कार्यान्वयन में सहायता सुधार पर विचार किया गया है।

6). परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) का परंपरागत उद्योगों एवं कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित कर परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2005-06 से कार्यान्वयन किया गया है। इस स्कीम में उत्पादन उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना, उत्पादन विकास, गुणवत्ता सुधार, उन्नत विपणन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इत्यादि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने की परिकल्पना है। स्कीम को 2016-17 के दौरान पुनरूद्धारित स्फूर्ति स्कीम के रूप में संशोधित किया गया।

(ग): विगत तीन वर्षों के दौरान खादी वस्त्रों के विनिर्माण के लिए राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों और केवीआईसी में पंजीकृत खादी संस्थाओं (केआई) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	केवीआईसी और केवीआईबी में पंजीकृत खादी संस्थाओं की संचयी संख्या		
	केवीआईसी	केवीआईबी	कुल खादी संस्थाएं
2015-16	1570	743	2313
2016-17	1632	743	2375
2017-18	1685	833	2518

अनुबंध-I

दिनांक 13.02.2019 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.1197 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म इकाइयों/उद्यमों की राज्यवार/संघ राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (23.01.2019 तक)
1	जम्मू और कश्मीर	2207	1492	3753	4250
2	हिमाचल प्रदेश	1077	941	886	850
3	पंजाब	966	1266	1520	1077
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	43	47	45	17
5	हरियाणा	1248	1377	1718	1266
6	दिल्ली	256	119	115	55
7	राजस्थान	1988	1749	1577	1400
8	उत्तराखंड	1136	1345	1613	1342
9	उत्तर प्रदेश	4365	4074	5432	3629
10	छत्तीसगढ़	1277	1598	1463	1762
11	मध्य प्रदेश	1979	1940	1804	1243
12	सिक्किम	110	27	37	31
13	अरुणाचल प्रदेश	35	301	209	195
14	नागालैंड	623	1018	930	471
15	मणिपुर	685	1265	600	629
16	मिजोरम	1134	425	249	459
17	त्रिपुरा	642	2297	1116	415
18	मेघालय	603	329	75	192
19	असम	3483	6028	2282	2135
20	बिहार	2430	3234	2307	1577
21	पश्चिम बंगाल	1873	3528	1366	1514
22	झारखंड	1839	1300	1111	713
23	ओडिशा	2876	3029	2399	1738
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	119	195	218	141
25	गुजरात*	1419	1386	1876	2128
26	महाराष्ट्र**	2497	2325	3329	3302
27	गोवा	91	90	50	43
28	आंध्र प्रदेश	642	1357	1527	1336
29	तेलंगाना	660	664	1190	1130
30	कर्नाटक	2140	3575	2115	2198
31	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32	केरल	1369	1584	1347	1447
33	तमिलनाडु	2463	2941	4095	3135
34	पुडुचेरी	65	66	44	51
	कुल	**44340**	**52912**	**48398**	**41871**

* दमन और दीव सहित ** दादरा और नगर हवेली सहित